



मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

16

भोपाल, दिनांक 26 MAR 2018

क्रमांक 2369/2018/तेरह: राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग से पंजीकृत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए (निःशुल्क) घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वितरण कंपनियों द्वारा इस संबंध में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं जहां ऐसे कनेक्शनों से म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के विनियम अनुसार कोई कनेक्शन प्रभार प्राप्ति योग्य हो, तो इसका विवरण राज्य शासन को उपलब्ध कराते हुए सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

(पी.के.चतुर्वेदी)

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृ.क्रमांक 2370/2018/तेरह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 MAR 2018

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर
6. प्रबंध संचालक, पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
7. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
8. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, म.प्र.शासन, भोपाल

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग